मध्य प्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस)

विशिष्ट विद्यालयो में प्रवेश संबंधी दिशानिर्देश (ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस)

शैक्षणिक सत्र-2022-23

अनुक्रमणिका

स.क्र.	संदर्भ	पृष्ठ संख्या
1	**भाग 1: परिभाषाएं**	3-4
2	**भाग 2: सामान्य दिशानिर्देश**	
2.1	प्रवेश पात्रता	5-6
2.2	कक्षा क्षमता एवं सक्षम प्राधिकारी	7-8
2.3	प्रवेश में आरक्षण	9-11
3	**भाग 3: प्रवेश चयन प्रक्रिया**	
3.1	प्रवेश घोषणा	12
3.2	ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस चयन परीक्षा 2022 हेतु पंजीकरण करने की प्रक्रिया	12
3.3	प्रवेश पत्र जारी करना	13
3.4	चयन परीक्षा का परिणाम	13 - 14
4	**भाग 4: दस्तावेज़ीकरण**	15
5	**भाग 5: परीक्षा की संरचना**	
5.1	उत्तर अंकित करने की विधि	16-17
6	**भाग 6: ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में पार्श्व(lateral) प्रवेश**	
6.1	कक्षा VII से IX और कक्षा XI में प्रवेश	18
6.2	कक्षा X और कक्षा XII में प्रवेश	18-19
6.3	कक्षा VII से कक्षा IX में प्रवेश की प्रक्रिया	19-20
6.4	कक्षा XI में प्रवेश की प्रक्रिया	20
6.5	एनआईओएस / राज्य बोर्ड / आईसीएसई के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश	21
6.6	विशेष प्रावधान	21-22
7	**भाग 7: ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश के लिए समय - सीमा**	23

ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी समस्त दिशानिर्देशों को अधिक्रमित करते हुए ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश को समान रूप से विनियमित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2022-23 और आगामी सत्रों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

भाग - 1 परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा, जब तक संदर्भ अन्यथा सुझावित न हो, इस प्रकार होगी: -

1.1 "एमओटीए" जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित करता है।

1.2 "एनईएसटीएस" का अर्थ है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

1.3 "एमपीसरस" का अर्थ है मध्य प्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल ऐकेडमिक सोसायटी।

1.4 "ईएमआरएस" का अर्थ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है

1.5 "केएसपी" का अर्थ है कन्या शिक्षा परिसर

1.6 "एमआरएस" का अर्थ है आदर्श आवासीय विद्यालय

1.7 "एमपीटास" का अर्थ है मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण स्वचालन प्रणाली

1.8 "शैक्षणिक वर्ष" का अर्थ 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक 12 महीनों की अवधि से है

1.9 "एमपीएसआरएसएसटी " का अर्थ है मध्य प्रदेश विशिष्ट आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा

1.10 "एमपीएसआरएसएलटी " का अर्थ है मध्य प्रदेश विशिष्ट आवासीय विद्यालय पार्श्व (Lateral) चयन परीक्षा

1.11 "एसटी" का अर्थ अनुसूचित जनजाति है

1.12 "पीवीटीजी" का अर्थ है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (बैगा, भारिया और सहरिया)।

1.13 "डीएनटी" का अर्थ है गैर अधिसूचित जनजाति

1.14 "एनटी" का अर्थ है घुमक्कड़ जनजाति

1.15 "एसएनटी" का अर्थ है अर्ध- घुमक्कड़ जनजाति

1.16 "एलडब्लूई" का अर्थ है वामपंथी उग्रवाद में माता-पिता की या तो सैनिक या पीड़ित के रूप में क्षति

1.17 " दिव्यांग व्यक्ति" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी भी दिव्यांगता से कम से कम चालीस प्रतिशत पीड़ित हो

1.18 "अंधत्व" का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से पीड़ित हो : -

- पूर्ण दृष्टिहीन या
- सुधारक लेंस के साथ बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक नहीं या
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे भी कम के कोण को घटाती है।

1.19 "श्रवण बाधिता " का अर्थ है संवादात्मक आवृत्ति में बेहतर कान में 60 डेसिबल या उससे अधिक की क्षति

1.20 "लोकोमोटर दिव्यांगता " का अर्थ है हड्डियों के जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता जिसके कारण अंगों की गति पर पर्याप्त प्रतिबंध या किसी भी प्रकार का मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है

भाग-2 सामान्य दिशानिर्देश

2.1. प्रवेश पात्रता:

ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा (जिस सत्र में प्रवेश वांछित है उस सत्र के 31 मार्च की स्थिति में) का विवरण इस प्रकार है:- **(1 अप्रैल को जन्म लेने वाले बच्चे पर भी लागू)**

कक्षा	जिस वर्ष प्रवेश मांगा गया है उस वर्ष की 31 मार्च को न्यूनतम आयु	जिस वर्ष प्रवेश मांगा गया है उस वर्ष की 31 मार्च को अधिकतम आयु
VI	10 वर्ष	13 वर्ष
VII	11 वर्ष	14 वर्ष
VIII	12 वर्ष	15 वर्ष
IX	13 वर्ष	16 वर्ष
X	14 वर्ष	17 वर्ष

नोट :

1. दिव्यांग बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।
2. कक्षा XI में प्रवेश के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते छात्र कक्षा X की परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में प्रवेश लेना चाहता हो। इसी प्रकार, कक्षा XII में प्रवेश के लिए कोई ऊपरी और निचली आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते कक्षा XI पास करने के बाद छात्र के निरंतर अध्ययन में कोई विराम न हो।

कक्षा VI में प्रवेश के लिए:

- उम्मीदवार की आयु 10 से 13 वर्ष होनी चाहिए (सभी श्रेणियों के लिए लागू) ।
- उम्मीदवार शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त / शासकीय मान्यता प्राप्त / CBSE संबद्ध स्कूल / NIOS OBE कार्यक्रम के स्तर B से मान्यता प्राप्त शाला से कक्षा V उत्तीर्ण होना चाहिए, या ऐसा उम्मीदवार जिसने किसी भी स्कूल में भाग नहीं लिया है, किन्तु घर पर अध्ययन किया है वह भी कक्षा VI में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है (RTE Act 2009 के अध्याय II की धारा 4 के अनुसार)। उम्मीदवार के माता-पिता / अभिभावक को उक्त के संबंध में एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थी किसी भी विद्यालय से निष्कासित नहीं होना चाहिए।

सामान्य पात्रता मापदंड:

I. उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं तालिका 2.3 में उल्लेखित आरक्षण श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए।

II. उम्मीदवार को प्रवेश दिशानिर्देशों में उल्लेखित आयु मापदंडों को पूरा करना चाहिए। प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र की तुलना में अधिक उम्र के संदिग्ध मामलों के प्रकरण को राज्य/जिला मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जा सकता है। उम्र की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

III. सत्र **2022-23** के लिए कक्षा VI में प्रवेश के लिए एमपीएसआरएसएसटी के लिए उपस्थित होने वाला उम्मीदवार जिस विद्यालय (ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस) में प्रवेश लेना चाहता है वहा के कक्षा- V में शासकीय/ शासकीय अनुदान प्राप्त / राज्य से मान्यता प्राप्त विद्यालय / NIOS OBE कार्यक्रम के स्तर B / राज्य के CBSE संबद्ध स्कूलों में शैक्षणिक सत्र **2020- 21 या 2021-22** में अध्ययनरत होना चाहिए या अध्ययन किया होना चाहिए । शासन द्वारा या शासन की किसी भी अधिकृत एजेंसी द्वारा घोषित विद्यालयों को मान्यता प्राप्त माना जाएगा ।

अथवा

ऐसे उम्मीदवार जिन्होने किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, किन्तु घर पर अध्ययन किया है, वह भी कक्षा VI में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है (RTE Act 2009 के अध्याय II की धारा 4 के अनुसार)। उम्मीदवार के माता-पिता/अभिभावक को उक्त के संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक सत्र **2022-23** में VI कक्षा में प्रवेश चयन परीक्षा के आधार पर होगा ।

2.2. कक्षा क्षमता और सक्षम प्राधिकारी:

2.2.1 ईएमआरएस

एक पूर्ण संचालित ईएमआरएस में कक्षा VI से X तक दो वर्ग एवं कक्षा XI और XII में तीन वर्ग (विज्ञान, वाणिज्य और कला प्रत्येक का एक संकाय) कुल स्वीकृत क्षमता 480 होगी।

नोटः- चूंकि ईएमआरएस विद्यालयों में सह-शिक्षा हैं, इसलिए बालकों एवं बालिकाओं के लिए सीटों की संख्या बराबर होगी।

कक्षा क्षमता	प्राधिकारी	टिप्पणियां
प्रति कक्षा प्रति वर्ग 30 तक	प्राचार्य	कक्षा VI से XII तक
प्रति कक्षा प्रति वर्ग 30 की स्वीकृत संख्या से अधिक	प्राचार्य	केवल ईएमआरएस **स्टाफ की बड़ी दो जीवित संतानों** के मामले में

2.2.2 केएसपी

एक पूर्ण संचालित केएसपीमें कक्षा VI से X तक दो वर्ग एवं कक्षा XI और XII में तीन वर्ग (विज्ञान, वाणिज्य और कला प्रत्येक का एक संकाय) कुल स्वीकृत क्षमता 490 होगी।

कक्षा क्षमता	प्राधिकारी	टिप्पणियां
प्रति कक्षा प्रति वर्ग 35 तक	प्राचार्य	कक्षा VI से X तक
चुने गए विषय संकाय में छात्राओं की वास्तविक संख्या (तीनों संकाय में कुल अधिकतम छात्राओं की संख्या 70)	प्राचार्य	कक्षा XI और XII तक
प्रति कक्षा प्रति वर्ग 35 की स्वीकृत संख्या से अधिक	प्राचार्य	केवल केएसपी **स्टाफ की बड़ी दो जीवित संतानों** के मामले में

2.2.3 एमआरएस

एक पूर्ण संचालित एमआरएस में कक्षा VI से X तक एक वर्ग एवं कक्षा XI और XII में तीन वर्ग (विज्ञान, वाणिज्य और कला प्रत्येक का एक संकाय) कुल स्वीकृत क्षमता 245 होगी।

नोट:- एमआरएस वर्तमान में केवल बालकों के विद्यालय के रूप में संचालित हो रहे है, किन्तु एमआरएस को सह-शिक्षा विद्यालयों के रूप में सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा, इस हेतु पायलट के रूप में कक्षा VII से XII तक की सभी शेष रिक्त सीटों पर बालिकाओं को दिवा छात्रा के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है।
साथ ही विद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे छात्राओं के लिए आवासीय और अन्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक परिवर्तन / व्यवस्था करें।

कक्षा क्षमता	प्राधिकारी	टिप्पणियां
प्रति कक्षा 35 तक	प्राचार्य	कक्षा VI से X तक
चुने गए विषय संकाय में छात्रों की वास्तविक संख्या (तीनों संकाय में कुल छात्र संख्या अधिकतम 35)	प्राचार्य	कक्षा XI और XII तक
प्रति कक्षा 35 की स्वीकृत संख्या से अधिक	प्राचार्य	केवल एमआरएस **स्टाफ की बड़ी दो जीवित संतानों** के मामले में

2.3. प्रवेश में आरक्षण:

ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में कक्षा VI में प्रवेश देने के लिए नीचे उल्लेखित आरक्षण मापदंडों का पालन किया जाएगा: -

ईएमआरएस **के लिए आरक्षण तालिका:**

क्रमांक	**आरक्षण श्रेणी**	**आयु आरक्षण (प्रतिशत में)**	**प्रति कक्षा 60 में से सीटों की संख्या**
1.	अनूसुचित जनजाति विद्यार्थी	85	51
2.	पीवीटीजी जनजाति विद्यार्थी	5	3
3.	ए) डीएनटी/एनटी/एसएनटी जनजाति विद्यार्थी	10	1
	बी) वे विद्यार्थी जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद/उग्रवाद/कोविड के कारण अपने माता-पिता खो दिया है / भूमि दाता / अनाथ विद्यार्थी आदि		1
	सी) विधवा माता की संतान		1
	डी) दिव्यांग माता-पिता की संतान		1
	इ) दिव्यांग विद्यार्थी		2
	कुल	**100**	**60**
4	ईएमआरएस के स्टाफ की संतान ।	प्रति कक्षा प्रति वर्ग 30 छात्रों की स्वीकृत संख्या से अधिक।	

KSP के लिए आरक्षण तालिका:

क्रमांक	आरक्षण श्रेणी	% आयु आरक्षण	प्रति वर्ग 70 में से सीटों की संख्या
1.	अनूसुचित जनजाति विद्यार्थी	85	60
2.	पीवीटीजी जनजाति विद्यार्थी	5	4
3.	ए) डीएनटी/एनटी/एसएनटी जनजाति विद्यार्थी	10	1
	बी) वे विद्यार्थी जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद/उग्रवाद/कोविड के कारण अपने माता-पिता खो दिया है / भूमि दाता / अनाथ विद्यार्थी आदि		1
	सी) विधवा माता की संतान		1
	डी) दिव्यांग माता-पिता की संतान		1
	इ) दिव्यांग विद्यार्थी		2
	कुल	**100**	**70**
4	केएसपी के स्टाफ की संतान ।	प्रति कक्षा 70 छात्राओं की स्वीकृत संख्या से अधिक।	

MRS के लिए आरक्षण तालिका:

क्रमांक	आरक्षण श्रेणी	% आयु आरक्षण	प्रति वर्ग 35 में से सीटों की संख्या
1.	अनूसुचित जनजाति विद्यार्थी	85	30
2.	पीवीटीजी जनजाति विद्यार्थी	5	2
3.	ए) डीएनटी/एनटी/एसएनटी जनजाति विद्यार्थी, वे विद्यार्थी जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद/उग्रवाद/कोविड के कारण अपने माता-पिता खो दिया है / भूमि दाता / अनाथ विद्यार्थी आदि	10	1
	बी) विधवा माता की संतान, दिव्यांग माता-पिता की संतान		1
	सी) दिव्यांग विद्यार्थी		1
	कुल	**100**	**35**
4	एमआरएस के स्टाफ की संतान	प्रति कक्षा 35 छात्रों की स्वीकृत संख्या से अधिक।	

नोट: ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के स्टाफ की संतानों को प्रति कक्षा प्रति वर्ग में छात्रों की निर्धारित संख्या से अधिक पर प्रवेश दिया जाए। यह सुविधा ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के **स्टाफ की बड़ी दो जीवित संतानों** के मामलों में लागू होगी।

प्राचार्य को संबंधित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में कर्मचारियों की संतानों को प्रवेश देने के लिए अधिकृत किया गया है जहां उनके माता-पिता कार्यरत हैं।

क्योंकि उपरोक्त विद्यार्थी ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस योजना का हिस्सा नहीं होंगे, अत: एमपीसरस/ एनईएसटीएस / एमओटीए द्वारा उक्त के संबंध में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन नहीं किया जाएगा। चूंकि ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस योजना में कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, अत: इन छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

II. बालक एवं बालिकाओं के लिए सीटों की संख्या समान होगी। ऐसे ईएमआरएस जो केवल बालकों या बालिकाओं के विद्यालयों के रूप में चल रहे हैं, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कक्षा VI से सह-शिक्षा विद्यालयों के रूप में सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा।

III. प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों का 3% RTE Act, 2009 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा और इसका उल्लेख तालिका 2.3 में किया गया है।

IV. ट्रांसजेंडर श्रेणी के विद्यार्थियों को पात्रता श्रेणी के अधीन प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

V. बिंदु संख्या 3 के लिए आरक्षण का प्रस्तावित समेकित कोटा 10% है।

VI. यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक आरक्षण श्रेणी से संबंधित है तो उसे उच्चतम आरक्षण प्रतिशत के साथ केवल एक आरक्षण श्रेणी का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।

VII. चयन परीक्षा के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। विभिन्न आरक्षण श्रेणियों के लिए कट ऑफ अंक पृथक-पृथक होंगे, ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के कर्मचारियों की संतानों को सीधे कक्षा VI में प्रवेश दिया जा सकेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के स्टाफ के बच्चे ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस योजना का हिस्सा नहीं होंगे और इन बच्चों के संबंध में एमपीसरस/ एन.ई.एस.टी.एस. / एमओटीए द्वारा जारी फंड से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाग-3 प्रवेश चयन प्रक्रिया

ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएसमें प्रवेश चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसीडेंशियल स्कूल सिलेक्शन टेस्ट (एमपीएसआरएसएसटी) प्रवेश परीक्षा के आधार पर कक्षा VI में प्रवेश किया जाएगा। ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को एमपीएसआरएसएसटी में उपस्थित होना और अर्हता प्राप्त करना होगा।

3.1 प्रवेश घोषणा

एमपीसरस को दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो/ एमपीटास वेब पोर्टल, ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस वेबसाइटों, स्थानीय समाचार पत्रों, पैम्फलेट, स्कूल नोटिस बोर्ड आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार से छात्रों को नए सत्र में प्रवेश के बारे में सूचित करेगा।

3.2 एमपीएसआरएसएसटी 2022-23 के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया

(i) आरक्षण तालिका 2.3 में उल्लिखित आरक्षण श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार एमपीएसआरएसएसटी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ii) पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन मोड के माध्यम से भरे जा सकते हैं।

(iii) एमपीसरस ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एमपीटास पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध कराएगा। पात्र विद्यार्थियों का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए।

(iv) एमपीएसआरएसएसटी के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची भी नामित वेब-पोर्टल और वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी।

(v) सभी ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में हेल्प डेस्क उपलब्ध होगी जो उम्मीदवारों/ अभिभावकों को नि:शुल्क ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करेगी।

(vi) एमपीसरस द्वारा चयनित विद्यार्थियों के परिणाम और अंतिम सूची की घोषणा के बाद चयनित विद्यार्थियों के निवास, आयु, पात्रता आदि के प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने है।

3.3. प्रवेश पत्र जारी करना

प्रवेश पत्र एमपीसरस द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे जो एमपीटास पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। पंजीकृत छात्र एमपीटास पोर्टल के माध्यम से अपनी जन्म की तिथि और आवेदन संख्या प्रदान करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस जो परीक्षा केंद्र भी हैं, उन्हें उनके स्कूल में एमपीएसआरएसएसटी के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की सूची दी जाएगी। जहां तक संभव होगा अभ्यर्थी को आवास के नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा।

3.4. एमपीएसआरएसएसटी का परिणाम

एमपीएसआरएसएसटी का परिणाम एमपीटास पोर्टल पर घोषित किया जाएगा। तथा

i. परिणाम मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

ii. संबंधित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस प्राचार्य भी चयनित उम्मीदवारों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित करेंगे और इसके बाद प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विद्यार्थी से संपर्क करेंगे ।

iii. एमपीएसआरएसएसटी पर आधारित एक अंतिम प्रवेश सूची (और प्रतीक्षा सूची), यदि आवश्यक हो, एमपीसरस द्वारा जारी की जाएगी। ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के उत्पादन और सत्यापन पर अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों को संबंधित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि एवं चयनित विद्यार्थियों के सत्यापन के बाद ही मूल संस्था से टीसी/ एसएलसी के लिए आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

iv. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त जनजातीय कार्य/सचिव एमपीसरस का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा

v. विद्यार्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक ध्यान दें कि एमपीएसआरएसएसटी द्वारा प्रदाय मेरिट सूची के आधार पर उनकों आवंटित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश दिया जाएगा । किसी भी परिस्थिति में चयनित विद्यार्थी को किसी अन्य ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी विशेष जिले में निवास स्थान, संबंधित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में शिक्षा का माध्यम, माता-पिता/अभिभावकों के अन्य जिलों/राज्यों आदि में स्थानांतरण आदि के कारण, छात्रों के स्थानांतरण के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, एमपीएसआरएसएसटी की मेरिट सूची के अनुसार किसी उम्मीदवार के उसके निवास के ब्लॉक/तालुका/तहसील/जिले में प्रवेश की संभावना (लेकिन कोई गारंटी नहीं) होगी। विद्यार्थी को अपने राज्य में चल रहे ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के संबंध में प्रवेश के लिए पांच

वरीयताएँ प्रस्तुत करनी होंगी। यदि कोई उम्मीदवार मेरिट सूची के आधार पर उसकी वरीयता के विद्यालय के अतिरिक्त अन्य ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस प्रवेश के लिए पात्र है, तो संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश उसको आवंटित विद्यालय में ही दिया जा सकेगा ।

vi. एमपीएसआरएसएसटी के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची में छात्र की वरीयता और स्थिति के आधार पर ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में सीट आवंटित करते समय परामर्श सत्र आयोजित किया जाएगा ।

vii. प्रदेश के सभी अनूसुचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सीटें खुली होनी चाहिए, इसमें ब्लॉक/तालुका/तहसील/ जिले के अनूसुचित जनजाति निवासी के लिए जहॉ ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस स्थित हो, कोई विशिष्ट आरक्षण कोटा नहीं है।

viii. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में तालिका 2.3 में उल्लेखित आरक्षण श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार किसी भी ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, भले ही कोई ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस उनके ब्लॉक/तालुका/तहसील/निवास के जिले में हो या नहीं।

ix. अधूरे आवेदन फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। रिक्तियों के रहने की स्थिति में सचिव एमपीसरस विद्यालयों को विद्यालय स्तर पर पार्श्व प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देकर कक्षा VI में पार्श्व प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं।

x. किसी भी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश प्राचार्य द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

भाग 4 - दस्तावेज़ीकरण

प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में प्रवेश के समय सत्यापन के लिए आंवटित स्कूल द्वारा मांगे गए अपेक्षित दस्तावेज जमा करने होंगे। विद्यार्थियों के पंजीकरण और चयनित विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शन के समय एमपीसरस द्वारा प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचित करना होगा।

अनिवार्य दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है: -

i. जन्म प्रमाण पत्र।

ii. मूल निवासी प्रमाण पत्र।

iii. आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र।

iv. ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के कर्मचारियों के संतानों के मामले में माता-पिता का सेवा प्रमाण पत्र।

v. विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

vi. पिछली कक्षा का रिपोर्ट कार्ड / उन विद्यार्थियों के लिए एक एफिडेविट जो किसी विद्यालय में नहीं गए हैं लेकिन घर पर पढ़े हैं।

vii. अंतिम चयनित विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण आंवटित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस द्वारा किया जाना है।

viii. पिछले विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।

ix. कोई अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक है। (एमपीसरस द्वारा उल्लेखित)

x. लाभार्थी (विद्यार्थी) प्रोफ़ाइल आई.डी.(एमपीटास) आवंटित स्कूल में प्रवेश की पुष्टि के समय।

भाग 5 - परीक्षा की संरचना

एमपीएसआरएसएसटी दो घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा जिसमें कुल 100 अंकों के लिए 3 खंडों से 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। परीक्षा के लिए निर्देश अंग्रेजी और हिंदी माध्यम (द्विभाषी) होगे ।

टेस्ट का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
मानसिक क्षमता परीक्षण	50	50
अंकगणित परीक्षण	25	25
भाषा (अंग्रेजी और हिंदी) टेस्ट	25	25
कुल अंक	**100**	**100**

प्रत्येक उम्मीदवार को तीनों खंडों की एक एकल परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। एमपीएसआरएसएसटी के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा। एमपीएसआरएसएसटी का प्रश्न पत्र एनसीईआरटी/एससीईआरटी/ सीबीएसई द्वारा कक्षा V के छात्रों के लिए निर्धारित स्तर के अनुसार दक्षताओं पर आधारित होगा।

ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो कि नेत्रहीन हो अथवा ऐसे विद्यार्थी जिनकी लेखन गति उनकी दिव्यांगता के कारण प्रभावित हो, के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

नेत्रहीन उम्मीदवारों को एमपीएसआरएसएसटी में स्क्राइब (रीडर/राइटर) की मदद लेने की अनुमति है, स्क्राइब उम्मीदवार से एक ग्रेड जूनियर होना चाहिए। यदि दृष्टिहीन उम्मीदवार को अपने स्वयं के स्क्राइब को लाने में कठिनाई होती है तो परीक्षा केंद्र अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह एक ऐसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान करे, जिसके पास परीक्षा में पढ़ने और लिखने की उचित क्षमता हो ।

5.1. उत्तर रिकॉर्ड करने की विधि

- एमपीसरस आवंटित परीक्षा केंद्र पर एक अलग ओएमआर(ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) उत्तर पुस्तिका प्रदान करेगा, जहां उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा समय में अपने उत्तर इंगित करने होंगे।
- नेत्रहीन उम्मीदवारों को एमपीएसआरएसएसटी में स्क्राइब (रीडर/राइटर) की मदद लेने की अनुमति है, स्क्राइब उम्मीदवार से एक ग्रेड जूनियर होना चाहिए। यदि दृष्टिहीन उम्मीदवार को अपने स्वयं के स्क्राइब को लाने में कठिनाई होती है तो परीक्षा केंद्र अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह एक ऐसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान करे, जिसके पास परीक्षा में पढ़ने और लिखने की उचित क्षमता हो ।

- एमपीएसआरएसएसटी परिणाम की घोषणा के बाद एमपीएसआरएसएसटी का रिकॉर्ड छह महीने के लिए संरक्षित होना चाहिए और कानूनी निहितार्थ के मामले में, मुकदमे के निपटारे के बाद एमपीएसआरएसएसटी के रिकॉर्ड को एक साल और सुरक्षित रखा जाएगा। एमपीएसआरएसएसटी के संचालन से संबंधित मुकदमों का निपटारा एमपीसरस द्वारा किया जाएगा।
- कोविड -19 महामारी जैसी अभूतपूर्व परिस्थितियों में, सचिव एमपीसरस ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस प्रवेश के लिए मेरिट सूची तैयार करने के लिए अन्य तरीके अपना सकते हैं।

भाग 6 - ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में पार्श्व प्रवेश

6.1 कक्षा VII - IX और XI के लिए प्रवेश

कक्षा VII - IX और XI में ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएसमें पार्श्व(lateral) प्रवेश की अनुमति रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन दी जाएगी। जिसके लिए सामान्य पात्रता शर्तें इस प्रकार होंगी:

- उम्मीदवारों को 2.1 (सभी श्रेणियों के लिए लागू) में निर्धारित आयु वर्ग का होना चाहिए।
- कक्षा VII/VIII/IX/XI में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को क्रमशः शासकीय/ शासकीय अनुदानप्राप्त / शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय/ सीबीएसई संबद्ध स्कूल / NIOS OBE कार्यक्रम के स्तर C (IX कक्षा में प्रवेश के लिए) से VI/VII/VIII/X कक्षा का अध्ययन किया होना चाहिए। या ऐसा उम्मीदवार जिसने किसी स्कूल में भाग नहीं लिया है, लेकिन घर पर अध्ययन किया है, वह भी कक्षा VII और VIII (RTE Act 2009 के अध्याय II की धारा 4 के अनुसार) में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। हालांकि, उम्मीदवार के माता-पिता/अभिभावक को इसके संबंध में एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- अभ्यर्थी को किसी भी विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।

6.2 X और XII कक्षा के लिए प्रवेश

कक्षा X और XII में प्रवेश संबंधित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के प्राचार्यों द्वारा रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा। कक्षा X और XII में प्रवेश पर तभी विचार किया जाएगा, जब कक्षा IX और X और कक्षा XI और XII में एक साथ ली गई औसत संख्या ईएमआरएस के लिए 60 प्रति कक्षा, केएसपी के लिए 70 प्रति कक्षा और एमआरएस के लिए 35 प्रति कक्षा से कम हो।

यह आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- विद्यार्थी पढ़ाई के एक ही पाठ्यक्रम में रहा है अर्थात सीबीएसई से संबद्ध ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएसके लिए सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में और राज्य बोर्ड से संबद्ध ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएसके लिए एक राज्य बोर्ड स्कूल में।
- कक्षा X के लिए, विद्यार्थी को कक्षा IX में कुल मिलाकर 50% से कम अंक प्राप्त नहीं होने चाहिए।
- कक्षा XII में प्रवेश के लिए कक्षा XI की परीक्षा में 50% अंक अनिवार्य हैं।
- विद्यार्थी को अन्यथा ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए।

- विद्यार्थी द्वारा चुने गए विषयों के संयोजन ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएसमें उपलब्ध हैं।

6.3 कक्षा VII - IX में प्रवेश की प्रक्रिया

ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में कक्षा VII - IX में प्रवेश एमपीएसआरएसएलटी (मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसीडेंशियल स्कूल लेटरल एंट्री टेस्ट) नामक प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस में कक्षा VII - IX में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर एमपीएसआरएसएलटी में उपस्थित होना और अर्हता प्राप्त करना होगा। संबंधित ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस कक्षा VII - IX में प्रवेश के संबंध में उन विद्यार्थियों के लिए एमपीएसआरएसएलटी का आयोजन करेंगे जो उनके विद्यालय में प्रवेश की मांग कर रहे हैं।

कक्षा VII - IX के लिए एमपीएसआरएसएलटी की संरचना

प्रवेश परीक्षा (एमपीएसआरएसएलटी) केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जो कि तीन घंटे की अवधि की पेन-पेपर परीक्षा हो सकती है, जिसमें 5 खंडों से वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न होगें। एमपीएसआरएसएलटी के लिए प्रश्न सीबीएसई/ राज्य बोर्ड से संबद्ध ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस की कक्षा VI-VIII की पूर्व कक्षाओं के एनसीईआरटी/एससीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से पूछे जाएंगे।

परीक्षा में 200 अंकों के कुल 100 प्रश्न होंगे, परीक्षा के लिए निर्देश का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी (द्विभाषी) होगा।

विषय	**प्रश्नों की संख्या**	**अंक**
अंग्रेज़ी	10	20
हिन्दी	10	20
गणित	30	60
विज्ञान	30	60
सामाजिक विज्ञान	20	40
कुल अंक	**100**	**200**

ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो कि नेत्रहीन हो अथवा ऐसे विद्यार्थी जिनकी लेखन गति उनकी दिव्यांगता के कारण प्रभावित हो, के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

नेत्रहीन उम्मीदवारों को एमपीएसआरएसएसटी में स्क्राइब (रीडर/राइटर) की मदद लेने की अनुमति है, स्क्राइब उम्मीदवार से एक ग्रेड जूनियर होना चाहिए। यदि दृष्टिहीन उम्मीदवार को अपने स्वयं के स्क्राइब को

लाने में कठिनाई होती है तो परीक्षा केंद्र अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह एक ऐसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान करे, जिसके पास परीक्षा में पढ़ने और लिखने की उचित क्षमता हो ।

एमपीएसआरएसएलटी के अन्य तौर-तरीके एमपीएसआरएसएसटी के समान ही होंगे।

6.4 कक्षा XI के लिए प्रवेश की प्रक्रिया

ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस द्वारा कक्षा XI में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। विद्यर्थियों का चयन कक्षा X में सीबीएसई/राज्य बोर्ड में उनके द्वारा प्राप्त अंकों/सीजीपीए के आधार पर किया जाएगा ।

ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस विद्यार्थी :

सीबीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा कक्षा X से उत्तीर्ण छात्र को स्वत: ही उसी ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएसमें कक्षा XI में प्रवेश दिया जाएगा। हालाँकि, संकाय अर्थात विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय निम्नलिखित योग्यता के आधार पर होगी:-

मेरिट सूची निम्नलिखित मापदंडों पर तैयार की जा सकती है:-

- **गणित के साथ विज्ञान संकाय:** कक्षा X में कुल अंक + विज्ञान में अंक + गणित में प्राप्त अंक।
- **गणित के बिना साइंस संकाय:** कक्षा X में कुल अंक + विज्ञान में अंक।
- **गणित के साथ वाणिज्य संकाय:** कक्षा X में कुल अंक + सामाजिक विज्ञान में अंक + गणित में प्राप्त अंक।
- **गणित के बिना वाणिज्य संकाय:** कक्षा X में कुल अंक + सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक।
- **कला संकाय:** सीबीएसई/ राज्य द्वारा कक्षा X में उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र।

नोट:-

- यदि ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के विद्यार्थियों के प्रवेश के बाद भी कक्षा XI में सीटें रिक्त रहती हैं, तो आरक्षण श्रेणियों से संबंधित गैर-ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस विद्यार्थियों को आरक्षण तालिका 2.3 में उल्लेखित समान मापदंड के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जा सकता है।

- जो विद्यार्थी पहले किसी विशेष संकाय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं पाए गए थे, उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र में कक्षा XI में एक विशेष संकाय में नए प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह उसी बोर्ड से एक वर्ष के भीतर अपने प्रदर्शन में सुधार करता है।

6.5 ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएसमें XI कक्षा में प्रवेश के लिए राज्य बोर्ड / आईसीएसई /एनआईओएस के छात्र

राज्य बोर्ड / आईसीएसई /एनआईओएस के विद्यार्थियों को कक्षा XI में सीट रिक्त रहने पर प्रवेश हेतु विचार किया जा सकता है ।

6.6 विशेष प्रावधान

- ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के स्टाफ की संतानों को प्रति कक्षा प्रति वर्ग छात्रों की निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश दिया जा सकता है।
- यह सुविधा ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस के स्टाफ के केवल बड़ी दो जीवित संतानों को दी जाएगी।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस स्टाफ की संताने ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस योजना का हिस्सा नहीं होंगे, अत: एमपीसरस/ एनईएसटीएस / एमओटीए द्वारा उक्त के संबंध में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन नहीं किया जाएगा ।
- एमपीएसआरएसएसटी अथवा एमपीएसआरएसएलटी में अपर्याप्त पंजीकरण/अपंजीकरण/ अपर्याप्त चयन/ प्रवेश के लिए अपर्याप्त आवेदकों की स्थिति में, एक विशेष आरक्षण श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को नीचे उल्लेखित अन्य आरक्षण श्रेणियों में **डी-रिजर्व** किया जाएगा:

क्र.सं.	आरक्षण श्रेणी	डी-रिजर्व	कब करें डी-रिजर्व
1.	अनूसुचित जनजाति विद्यार्थी।	पीवीटीजी	बंद होने से 15 दिन पहले प्रवेश प्रक्रिया की तिथि।
	यदि रिक्ति अभी भी मौजूद है	बिंदु संख्या 3 पर आरक्षण श्रेणी।	प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले।
2.	पीवीटीजी	अनूसुचित जनजाति विद्यार्थी	बंद होने से 15 दिन पहले प्रवेश प्रक्रिया की तिथि।
	यदि रिक्ति अभी भी मौजूद है	बिंदु संख्या 3 पर आरक्षण श्रेणी।	प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले।
3.	बिंदु संख्या 3 पर आरक्षण श्रेणी	अनूसुचित जनजाति विद्यार्थी ।	बंद होने से 15 दिन पहले प्रवेश प्रक्रिया की तिथि।
	यदि रिक्ति अभी भी मौजूद है	पीवीटीजी	प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले।

हालांकि, यह उम्मीद की जाती है कि योजना और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर इच्छुक विद्यार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

- मौजूदा **ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस** में रिक्त सीटों को भरने के लिए यदि आवश्यक हो तो विशेष अभियान चलाए जाए ।

भाग 7: ईएमआरएस, केएसपी एवं एमआरएस समिति में प्रवेश के लिए समय - सीमा

सत्र 2022-23 के लिए एमपीएसआरएसएसटी अथवा एमपीएसआरएसएलटी के लिए प्रवेश कार्यक्रम सचिव एमपीसरस द्वारा जारी किया जाएगा।